


विज्ञापित

उत्तराखण्ड शासन की विज्ञापित सं0 1881/XXXI(15)G/23-74(सा0)/2016, दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के अनुसार वर्ष 2024 के लिए विश्वविद्यालय में निम्न अवकाश घोषित किये जाने की कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्र.सं.	त्योंहारों का नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	अवकाश संख्या
1.	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती	17.01.2024	बुधवार	1
2.	गणतंत्र दिवस	26.01.2024	शुक्रवार	1
3.	महाशिव रात्रि	08.03.2024	शुक्रवार	1
4.	होलिका दहन	24.03.2024	रविवार	1
5.	होली	25.03.2024	सोमवार	1
6.	गुड फ्राईडे	29.03.2024	शुक्रवार	1
7.	चेटीचन्द	09.04.2024	मंगलवार	1
8.	*ईद-उल-फितर	11.04.2024	बृहस्पतिवार	1
9.	प्रबन्ध परिषद द्वारा घोषित अवकाश	13.04.2024	शनिवार	1
10.	डॉ भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	14.04.2024	रविवार	1
11.	राम नवमी	17.04.2024	बुधवार	1
12.	महावीर जयन्ती	21.04.2024	रविवार	1
13.	बुद्ध पूर्णिमा	23.05.2024	बृहस्पतिवार	1
14.	*ईद-उल-जुहा (बकरीद)	17.06.2024	सोमवार	1
15.	हरेला	16.07.2024	मंगलवार	1
16.	*मोहरम	17.07.2024	बुधवार	1
17.	स्वतंत्रता दिवस	15.08.2024	बृहस्पतिवार	1
18.	रक्षा बन्धन	19.08.2024	सोमवार	1
19.	जन्माष्टमी	26.08.2024	सोमवार	1
20.	*ईद ए मिलाद/मिलाद-उल-नबी बारावफात	16.09.2024	सोमवार	1
21.	विश्वकर्मा पूजा	17.09.2024	मंगलवार	1
22.	महात्मा गाँधी जयन्ती	02.10.2024	बुधवार	1
23.	दशहरा (महानवमी)	11.10.2024	शुक्रवार	1
24.	दशहरा विजयदशमी	12.10.2024	शनिवार	1
25.	महर्षि वाल्मीकि जयन्ती	17.10.2024	बृहस्पतिवार	1
26.	दीपावली (नरक चतुर्दशी)	31.10.2024	बृहस्पतिवार	1
27.	दीपावली	01.11.2024	शुक्रवार	1
28.	दीपावली (गोबर्द्धन पूजा)	02.11.2024	शनिवार	1
29.	ईगास-बग्वाल	12.11.2024	मंगलवार	1
30.	गुरु नानक जयन्ती	15.11.2024	शुक्रवार	1
31.	गुरु तेगबहादुर शहीद दिवस	06.12.2024	शुक्रवार	1
32.	क्रिसमस दिवस	25.12.2024	बुधवार	1

\* यह त्योंहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे।

नोट: दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय फार्म के लिये अवकाशों की घोषणा सह निदेशक (श्रम कल्याण) एवं महाप्रबन्धक (फार्म) द्वारा पृथक् से की जायेगी।

  
कुलसचिव 30/12/2023

प्रतिलिपि:

- समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्षों को अतिरिक्त प्रतियों सहित उनके विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सूचनार्थ।
- समस्त निर्देशकों को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीन समस्त बाह्य इकाईयों के प्रभारियों को अतिरिक्त प्रतियों सहित उनके सूचनार्थ।